भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2785
गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पहुंच में सुधार के लिए सीप्लेन का उपयोग

2785. डॉ. शशि थरूर:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में वि शेषकर केरल में पहुंच में सुधार के लिए सीप्लेन के उपयोग की संभावना तलाश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार केरल में सीप्लेन संचालन के उपयोग की संभावना तलाशने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): सरकार ने दिनांक 22.08.2024 को भारत में सीप्लेन परिचालनों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य 'उड़ान' योजना के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को हवाई संपर्क से लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाते हुए, निर्बाध और सुरक्षित सीप्लेन परिचालन उपलब्ध करना है। ये दिशा-निर्देश प्रचालकों को उन वाटर-एयरोड्रोमों से सीप्लेन परिचालन शुरू करने की अनुमति देते हैं जो डीजीसीए की सीएआर खण्ड 3 श्रंखला सी पार्ट IX "सीप्लेन परिचालनों के लिए न्यूनतम सुरक्षा अपेक्षाएं" के अनुपालन में विकसित किए गए हैं। 'उड़ान' चरण 5.5 शुरू किया गया है, जिसमें इच्छुक एयरलाइनें, विशेष मार्गों पर मांग के अपने आंकलन के आधार पर, बोली-प्रक्रिया के समय जल-निकायों को जोड़ने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं।

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-'उड़ान') के चरण 5.5 में बोली प्रक्रिया हेतु उपलब्ध जल-निकायों की सूची में शामिल करने के लिए केरल सरकार ने 14 स्थानों अर्थात कोवलम, बोलगट्टी, कुमारकोम, इडुक्की बांध, मालमपुझा, बाणासुर सागर बांध, कासरगोड, मुन्नार, (मट्टुपेट्टी बांध/सेंगुलम बांध), करापुझा बांध, वलपट्टनम नदी, मुझप्पिलंगड़ ड्राइव-इन-बीच, पजहस्सी बांध, कक्क्यम बांध, वलियापरम्बा बैक वॉटर का प्रस्ताव दिया है।

*****